शिव सिंह व अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 4414 वर्ष 2018)

अप्रैल 25, 2018

[आर के अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 - धारा 15(2) - का अनुपालन न करना, प्रभाव - प्रस्तावित अधिग्रहण को चुनौती देने वाले भूमि मालिकों द्वारा दायर आपत्तियाँ - आपत्तियों पर कलेक्टर द्वारा उचित शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत न किया जाना - माना गया: अधिनियम की योजना के तहत, एक बार जब प्रभावित भूमि मालिकों द्वारा आपत्तियां दायर की जाती हैं, तो उन पर भूमि मालिकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अधिनियम की धारा 15(2) के तहत कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है, जो अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं और आगे की जांच करने के बाद, जैसा कि कलेक्टर आवश्यक समझे, उसे संबंधित अधिग्रहण में उचित कार्रवाई के लिए उचित सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी - कलेक्टर के लिए धारा 15(2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य है ताकि अधिग्रहण की कार्यवाही को कानूनी बनाया जा सके और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके - इस मामले में, कलेक्टर ने न तो अपीलकर्ताओं को धारा 15(2) के तहत अपेक्षित कोई अवसर दिया और न ही धारा 15(2) के तहत प्रदान की गई कोई रिपोर्ट सरकार को सौंपी ताकि सरकार उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सके - अत: कलेक्टर ने धारा 15(2) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निर्णय लेने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा:-

यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित समय के भीतर प्रस्तावित अधिग्रहण पर अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं। कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 15(2) का पालन नहीं किया गया है। कलेक्टर के लिए अधिनियम की धारा 15(2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य है ताकि अधिग्रहण की कार्यवाही को कानूनी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके। प्रतिवादी संख्या 2 (कलेक्टर) को अधिनियम की धारा 15(2) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निर्णय लेने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 6, 8 और 12] [949-ए, डी-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4414 वर्ष 2018

हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय शिमला के निर्णय और आदेश दिनांक 01.11.2016 के विरुद्ध सिविल रिट याचिका संख्या 2159 वर्ष 2016 में।

सुधीर चंद्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, भगवती प्रसाद पाढ़ी अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अभिनव मुखर्जी, एएजी, सुश्री बिहू शर्मा, सिद्धार्थ गर्ग, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील रिट याचिका संख्या 2159 वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 01.11.2016 के खिलाफ दायर की गई है। जिसमें उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अपीलकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रतिवादी-राज्य द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

3. अपील में शामिल मुद्दों की सराहना करने के लिए, नीचे कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

4. इस मामले में विवाद अपीलकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण करने की मांग की गई है। (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में जाना जाएगा)।

5. अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 08.12.2015 द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य ने अन्य भूमि मालिकों की भूमि के साथ-साथ अपीलकर्ताओं की लगभग 1-00-49 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की। अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था, अर्थात्, "बस स्टैंड रुहिल से कुपर के माध्यम से ऊपरी रुहिल तक सड़क का निर्माण"।

6. यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ताओं (रिट याचिकाकर्ताओं) ने अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित समय के भीतर 05.01.2016 (अनुलग्नक पी- 8) को प्रस्तावित अधिग्रहण पर अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं।

7. अधिनियम की योजना के तहत, एक बार जब प्रभावित भूमि मालिकों द्वारा आपत्तियां दायर की जाती हैं, तो उन पर भूमि मालिकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अधिनियम की धारा 15(2) के तहत कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है, जो अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं और आगे की जाँच करने के बाद, जैसा कि कलेक्टर आवश्यक समझे, उन्हें प्रश्नगत अधिग्रहण में उचित कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

8. इस मामले में, हम पाते हैं कि कलेक्टर ने अपीलकर्ताओं को कोई अवसर नहीं दिया जैसा कि अधिनियम की धारा 15(2) के तहत अपेक्षित है न ही अधिनियम की धारा 15(2) के तहत प्रावधानित कोई रिपोर्ट सरकार को सौंपी ताकि सरकार उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सके। दूसरे शब्दों में, हम पाते हैं कि कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 15(2) का अनुपालन नहीं किया गया है। हमारे विचार में, कलेक्टर के लिए अधिनियम की धारा 15(2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य है ताकि अधिग्रहण की कार्यवाही को कानूनी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

9. ऐसा प्रतीत होता है कि मामले के उपरोक्त पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं की रिट याचिका खारिज कर दी गई है जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

10. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील भी रिकॉर्ड से यह दिखाने में सक्षम नहीं थे कि कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 15(2) का उचित अनुपालन किया गया था। राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामा भी इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिखाता है।

11. इसी कारण से और मामले में उत्पन्न होने वाले किसी अन्य मुद्दे पर जाए बिना, हम अपील की अनुमति देने, आक्षेपित निर्णय को रद्द करने और अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देने के इच्छुक हैं।

12. हम यहां प्रतिवादी संख्या 2 (कलेक्टर विंटर फील्ड, शिमला-3 एचपी) को अधिनियम की धारा 15(2) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 05.01.2016 को अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर निर्णय लेने और उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं।

13. आपत्तियों पर आदेश में की गई हमारी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना बाहरी सीमा के रूप में इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए।

अपील कायम है। अपील स्वीकृत।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"